भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1166

मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जी.आई. टैग वाले उत्पाद

1166. श्री राजकुमार रोतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) टैग वाले उत्पादों का राज्य-वार संघ तथा राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जी.आई. टैग वाले उत्पादों के संरक्षण के लिए स्वीकृत बजट का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के प्रसिद्ध महुआ और अनुरा (सीताफल) को जी.आई. टैग प्रदान करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : देश में भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग वाले उत्पादों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर नीचे दिए लिंक पर उपलब्ध है:- https://dpiit.gov.in/sites/default/files/Registered_GIApplications_02December2024.pdf

(ख) : भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग वाले उत्पादों के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट उत्पाद-वार राशि स्वीकृत नहीं है। तथापि, सीजीपीडीटीएम और जीआई रजिस्ट्री कार्यालय के लिए स्वीकृत बजट का ब्यौरा, जो अन्य के साथ-साथ, जीआई अधिनियम और नियमों के तहत भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों का पंजीकरण करता है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, **अनुबंध-I** में संलग्न है। इसके अलावा, भौगोलिक संकेतक उत्पादों के संवर्धन, जागरूकता और पंजीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-2025 के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) : भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय को दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के महुआ और अनुरा (सीताफल) के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। किसी उत्पाद को जीआई के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए, जीआई अधिनियम और नियमों के अनुसार, उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादकों के संघ या अधिकृत निकाय द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1166 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बजट और व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राजस्व			पूंजी			कुल		
	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक
2021-22	196.43	194.95	194.08	10	10	9.99	206.43	204.95	204.07
2022-23	207.95	220.05	218.74	16.5	33.43	33.31	224.45	253.48	252.05
2023-24	277.60	258.990	257.6114	15	24.595	19.154	292.6	283.585	276.7654

स्रोत: महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क कार्यालय

*****